कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

क्रमांकः–व–15(2)आरपीए / जन / जिम मरम्मत / 2019 / 8957 दिनांकः– 29.12.21

खुली निविदा सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थित आधुनिक व्यायाम शाला (जिम) हेतु उपकरण / सामान क्रय करने हेतु मोहर वन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है–

क्र. सं.	आईटम	अनुमानित राशि (लाख)	अमानत राशि रू.	निविदा फार्म मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	संस्था स्थित आधुनिक व्यायाम शाला (जिम) हेतु उपकरण / सामान क्रय करने हेतु। (Annexure -A के अनुसार)	**4.45 लाख**	बिड स्वीकृति के संबंध में घोषणा पत्र (4450 / –रू)	200.00 रू	07.01.2022

निविदा शर्तेः–

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए. जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित शुल्क (बेंकर चैक / डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 07.01.2022 दोपहर 1.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा / बिड बॉक्स) में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 07.01.2022 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ.2(1)वित्त / जीएण्डटी–एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर देना अनिवार्य है।
4. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, बिक्री कर प्रमाण पत्र, बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदा के साथ नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. जो निविदाऐं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।
8. क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अति महानिदेशक पुलिस
एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
3. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
4. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी सीडीपीएसएम / स्टेशनरी / कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

अति महानिदेशक पुलिस,
एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

क्रमांकः–व–15(2)आरपीए/जन/जिम मरम्मत/2019/ दिनांकः–

निविदा प्रारूप

वित्तीय बिड (देखिए नियम 68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 07.01.2022 समय 01.00 बजे तक।
निविदा खोलने की अन्तिम तिथि 07.01.2022 सांयः 03.30 बजे ।

1. संस्था स्थित आधुनिक व्यायाम शाला (जिम) हेतु उपकरण/सामान क्रय करने हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता .... ई–मेल एवं मोबाईल नं0.................. ....बोलीदाता का :– पैन नं. .... टिन नं. ....

   जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. ....
3. किसको सम्बोधित की गयी–निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. सन्दर्भ :–
5. निविदा शुल्क की राशि रू 200/– बैंकर चैक/बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट सं. .... दिनांक .... के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या..............दिनांक....................में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो में बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. सामान का विवरण एवं स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।
8. निविदाएं तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
9. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
10. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर देना अनिवार्य है।
11. इसके साथ जी.एस.टी./विक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर चुकती प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
12. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।

    निविदा शर्ते मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure – A

क्र०स०	विवरण	तादात	दर (जी.एस.टी. सहित)
1.	**Stepper** Specifications- Material- Plastic Item dimensions L x W x H- 50.8 x 12.7 x 25.4 cm	06 नग	
2.	**Cross Trainer** Specifications- Intelligent Display- LED dynamic digital display showing all parameters during exercise. Transmission System -Mult-DMC driven Language -English Power- High-tech self-power generator Resistance-16 levels Max User Weight-200kgs Appearance Size- 2100mm x 750mm x 1500mm Size- (L)2385 (W)700 (H)1770 mm	02 नग	
3.	**Spin Bike** Specifications- Size in mm- L 1068, W 526, H 1045-1300 Max users weight 180 kgs Tube thickness-2.5MM Bearing- M20	04 नग	
4.	**Hurdle 6 Inches** Specifications- 6 inches Material - PVC Plastic, Material - Strong Polyvinyl chloride (PVC) Tube; Water proof	01 नग	
5.	**Marking Cone 6 Inches** Specifications- Length- 14.5 Centimeters Width- 14.5 Centimeters Weight- 1.6 Kilograms Material Type- Plastic	10 नग	
6.	**Tricep Rope** Specifications- A pull rope for working your triceps, biceps and abs Super-thick, high-carbon swivel Rubber ends	01 नग	
7.	**Balancing Board** Specifications- Wood Construction Anti slip surface Diameter 40 cm	01 नग	
8.	**Bicep Handle Solid** Specifications- Powder-coated	02 नग	

	Rectangular heavy-duty steel pipes Corrosion resistance High-quality bolts and nuts, rubber boots at the ends of base pipes Multi-grip handles for bicep/tricep workout		
9.	**Punching Dummy** Specifications- Size-178centimeters Item Weight-100 Kilograms	01 नग	
10.	**Punching Gloves** Size- 100 Ounces Material- Faux Leather	02 नग	
11.	Towels 18x24 inches	30 नग	
12.	Wooden Bucket	03 नग	
13.	Steel Pipe 6 Feet	02 नग	

निविदादाता के हस्ताक्षर

[illegible] निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

(निविदा प्रपत्र–तकनीकी बिड)
परिशिष्ट "अ"

घोषणा

1. [illegible] सफाई के लिए निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....व
[illegible] पूर्ण पता ....
[illegible] नम्बर ईमेल सहित ....

....
3. निविदा जिसे प्रस्तुत करनी है :– निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
4. [illegible] :– निविदा सूचना संख्या :–.............................. दिनांक.................................
जो .... (समाचार पत्र का नाम) दिनांक ....
में प्रकाशित हुई है।
5. [illegible] :– राशि रुपये .... बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या [illegible] .... द्वारा जमा करा दी गई है।
6. [illegible] सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों [illegible] परिशिष्ट "स" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं परिशिष्ट [illegible] उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण– स्वरूप हस्ताक्षर [illegible] हस्ताक्षर युक्त संलग्न है।
7. [illegible] विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित समयावधि में विशिष्ट [illegible] कर [illegible]।
8. [illegible] करते हैं कि प्रस्तुत दरें, "तकनीकी बिड" के खुलने की तिथि से 90 दिन [illegible]
9. [illegible] बिक्री कर पंजियन जी.एस.टी. संख्या..है।
10. [illegible] करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित [illegible] अनुबन्ध निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।
11. [illegible] करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में निविदा निरस्त करने योग्य है। आवश्यक [illegible] संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

[illegible]	[illegible] Certificate & Other Informations	Yes/No	Date Of Issue/Validity
[illegible]	[illegible] Tender Fee Document Is Submitted With Open Tender, Provide [illegible] Banker Cheque/DD No. ....Dt.		
[illegible]	[illegible] EMD Document (Bid Security Declaration) Submitted With [illegible] Tender D...................Amount.........................		
[illegible]	[illegible] Agreed With All Tender Conditions		
[illegible]	[illegible] Status In S.S. For In -[illegible] Is Submitted With Open [illegible]		
[illegible]	[illegible] GST Registration Certificate/Undertaking Is Submitted With		

	Open Tender	
[illegible]	Whether Pan Card Certificate Is Submitted With Open-Tender	

12. हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।
13. हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा खुली–निविदा में निर्धारित तरीके से [illegible] गई है।

नोट:–

1. [illegible] (11) में अंकित संलग्न दस्तावेजो को प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके [illegible] अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके [illegible] अमान्य कर दी जायेगी।
2. निविदा भरने की प्रक्रिया :–

(ए) तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र स्वं हस्ताक्षर उपरान्त निर्धारित राशि [illegible] साथ संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(बी) बोलीदाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड जिसमें बोली के तहत मांगे गये [illegible] / [illegible], [illegible] व हस्ताक्षर युक्त बिड प्रपत्र तथा तकनीकी बिड में मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर सीलबन्द करना होगा तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड में अपनी प्रस्तावित दरें [illegible] में भरकर उस लिफाफे को सीलबन्द करना होगा। तथा इन दोनो बन्द लिफाफे को एक [illegible] लिफाफे में रखकर इसे सीलबन्द कर उस पर सम्बधित निविदा कार्य का नाम तथा [illegible] का नाम पता व दूरभाष / मोबाईल नम्बर लिखकर प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता के
हस्ताक्षर [illegible]

<u>खुली निविदा एवं संविदा की शर्तें</u>

टिप्पणी : निविदाओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए ।

1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. (i) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाऐं:–

(i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाएेंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न प्रपत्र/प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं वांछित दस्तावेजी प्रमाण भी बोली के साथ दिये जावेंगे।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी।

(ii) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण:–

(i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्में पात्र मानी जावेगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरण्डम प्राप्त होना चाहिए।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्योग आधार ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 0.25 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित [illegible] राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म [illegible] शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 [illegible] कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन [illegible] गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण [illegible]

(vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी

3. <u>सैम्पल(sample)-</u>

(i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ सैम्पल हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित नहीं होने पर भी कार्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर सैम्पल की मांग की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इस हेतु सूचित करने पर सैम्पल उपरोक्तानुसार सील कर प्रस्तुत करने होंगे।

(iii) विभागीय उपापन (procurement)समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित सामग्री के सैम्पल की जाँच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जाँच कराई जाती है तो उसका शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो सैम्पल की जाँच के उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा। यदि बोलीदाता जाँच शुल्क जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि में से जाँच शुल्क राशि काट ली जाएगी।

4. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसदी उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगा ।

5. जीएसटी/बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर शोधन प्रमाण–पत्र–

(i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम/बिक्रकर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(iii) [illegible] सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्राप्त [illegible] शोधन प्रमाण–पत्र एवं आय कर चुकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।

निविदा [illegible] स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए [illegible] करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित [illegible] जाने चाहिए।

[illegible] दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समस्त प्रकार के करों [illegible] स्पष्ट करें।

[illegible] स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी [illegible] को [illegible] इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए । स्थानीय प्रयासों [illegible] दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई [illegible] प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी [illegible] अधिकारी के [illegible] की जायेगी।

10. [illegible]:– निविदाएँ उनके खोले जाने के दिनांक से [illegible] नियम में उल्लेखित अवधि [illegible] मान्य होगी।

11. [illegible] संविदा को या उनके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिए [illegible] नहीं देगा।

12. [illegible] :– प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप [illegible] आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण [illegible] में कराया [illegible] अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा [illegible] रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये प्रदाय को [illegible] द्वारा [illegible] निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर [illegible]।

[illegible] सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, [illegible] किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

[illegible] प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि [illegible] उचित [illegible] प्रदायकर्ता/ठेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान [illegible] जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं [illegible] करने की शक्ति [illegible]।

15. [illegible] :–परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि [illegible] परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि [illegible] विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार [illegible] द्वारा [illegible]।

[illegible] :–

[illegible] या परीक्षण के दौरान या जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जायेंगी, उन्हें रद्द किया [illegible] निविदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर [illegible] जायेगा।

[illegible] किया गया माल या आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित [illegible] नहीं [illegible] निविदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए [illegible]।

([illegible]) [illegible] किये गये सामान को जनहित/सरकारी सामानकी तात्कालिक [illegible] के कारण [illegible] या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो [illegible] [illegible] को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को [illegible], [illegible] दरों म से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से [illegible] [illegible] प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] :

1. [illegible] का निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2020 [illegible] बोली के साथ बोली प्रतिभूति हेतु स्टॉम्प घोषणा प्रस्तुत [illegible] स्टॉम्प के बिना बोलियो पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. [illegible] के सक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगो एवं इनसे रूग्ण उद्योगों को [illegible] (राजस्थान सरकार) की अधिसूचना दिनांक 19.11.2019 के अनुसार [illegible] प्रस्तुत करने पर बोली प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।

[illegible] राशि का [illegible] —बयाना राशि को निम्नलिखित [illegible] [illegible]

[illegible] निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार [illegible] [illegible] को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।

[illegible] निविदादाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को [illegible] [illegible] करता है।

[illegible] निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा [illegible] [illegible] निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति [illegible] [illegible] अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

[illegible] सम्पादन प्रतिभूति :—

[illegible] सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के [illegible] रूपये 500/— मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (जिसका [illegible] द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार—पत्र निष्पादित करना होगा [illegible] जिसकी बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 2.5 प्रतिशत [illegible] प्रतिभूति जमा करानी [illegible]

[illegible] सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और [illegible] [illegible] निगमों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाईटियों जो [illegible] सरकार के [illegible] नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों [illegible] [illegible] बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक [illegible] [illegible] की जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन [illegible] [illegible] सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

[illegible] बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु [illegible] उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उपापित ज्ञापन [illegible] अधिसूचित [illegible] [illegible] प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 0.5 प्रतिशत [illegible] [illegible] राशि जमा कराई जावेगी।

[illegible] एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक [illegible] [illegible] के समक्ष लम्बित है, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य [illegible] [illegible] होगी।

(1) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी–

(i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक

(ii) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।

(iii) अन्य बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत [illegible] पत्र डिफेंस/ सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य [illegible]/निवेश यदि इन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इस प्रकार पत्रों को उनके [illegible] मूल्य सरेण्डर मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।

20. प्रतिभूति राशि का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित [illegible] में समपहृत किया जायेगा :–

(क) जब [illegible] संविदा की किसी शर्त/अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति/सामानसंतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) [illegible] असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर [illegible] [illegible] होगा, बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके [illegible] बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी. आर. एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

21. [illegible] :–

(i) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं [illegible] अनुसार कार्य/अनुबंध का आदेश दिया जा सकेगा।

(ii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में [illegible] मात्रा से कम मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

22. परिनिर्धारित नुकसानी :–परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) निश्चित सप्लाईअवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।

(घ) निश्चित अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

(ङ) यदि प्रदाय कर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सामानपूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि सामान पूर्ण होने की निश्चित तारीख के बाद करेगा।

(च) यदि सामानदायगी में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सामानदायगी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

23. वसूली :–परिनिर्धारित क्षतियाँ कम सप्लाई, टूट फूट या रद्द की गई वस्तुओं/अनुबंध के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूट फूट, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] भी ऐसा जा सकेगा तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से [illegible] नहीं [illegible] तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि [illegible] विभाग के

[illegible] उपलब्ध प्रतिभूति निपेक्ष से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो [illegible] पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

24. प्रदाय किये जाने वाले सामान की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

25. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :— निविदादाता द्वारा आदेशित सामान निर्धारित अवधि में नहीं दिये जाने पर विभाग द्वारा सामान स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर [illegible] जा सकेगी।

26. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का [illegible] को पूर्ण अधिकारी होगा।

27. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, एवं [illegible] [illegible] आर.पी.एस.एस. जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का [illegible] जयपुर [illegible] होगा।

28. निर्धारित [illegible] में दी गई आईटम वाईज दर के आधार पर न्यूनतम दरदाता [illegible] निविदा या एकजाई रूप में स्वीकार योग्य होगी। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

29. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम [illegible] नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

30. सफल निविदादाता आईटम सप्लाई अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य [illegible] नहीं करेगा।

31. सप्लाई संतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर [illegible] धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

32. बिल में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सहित होनी चाहिये। पृथक से कोई [illegible] देय नहीं है।

33. न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता का चयन आईटम वाईज या इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

34. आईटम वाईज दर अंकों एवं शब्दों में ध्यानपूर्वक भरी जावें तथा कुल [illegible] की ध्यानपूर्वक की जावें। अंको एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की स्थिति में आईटम की रेट अंको एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको [illegible] जावेगा।

35. भुगतान :—

(क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों [illegible] बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी [illegible] वसूल किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक [illegible] जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम [illegible] निर्देशों के अनुरूप हों।

36. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकरण [illegible] [illegible]।

(iii) एक [illegible] स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन [illegible]

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

17. किसी भी निविदा/बिड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

18. राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।

19. ब्लैक लिस्टेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।

20. निविदा प्रणाली RTPP Act – 2012, Rules – 2013के अनुसार होगी।

21. तंग करने वाली अपीलें या परिवादः– जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद फाईल करता है, वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो राशि दस लाख रूपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

22. प्रतिभूति निक्षेप/कार्यसम्पादन प्रतिभूतिः– सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का 2.5 प्रतिशत अलग से प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा।

मैं/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर
(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

[illegible]

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने [illegible] मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/[illegible] विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल [illegible]/[illegible] एजेण्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, [illegible] सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण [illegible] किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया [illegible] किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर
पूर्ण पता–
टेलीफोन नं.

शपथ–पत्र

[illegible] ....

[illegible] कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में [illegible] किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/[illegible] [illegible] किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर
पूर्ण पता–
टेलीफोन नं.

[illegible] Compliance with the Code of Integrity and NoConflict of InterestAny [illegible] participating in a procurement process shall –

- [illegible] any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to [illegible] influence the procurement process.
- [illegible] misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a [illegible] or other benefit or avoid an obligation.
- [illegible] in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair [illegible] transparency, fairness and progress of the procurement process.
- [illegible] any information shared between the procuring Entity and the Bidders [illegible] to gain unfair advantage in the procurement process.
- [illegible] any coercion including impairing or harming or threatening to do [illegible] directly or indirectly, to any party or to its property to influence the [illegible] process.
- [illegible] any investigation or audit of a procurement process.
- [illegible] conflict of interest, if any; and
- [illegible] any previous transgressions with any Entity in India or any other country [illegible] three years or any debarment by any other procuring entity.

[illegible]

[illegible] participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

[illegible] is considered to be a situation in which a party has interest that [illegible] influence that party's performance of official duties or responsibilities, [illegible] obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more [illegible] in a bidding process if, including but not limited to:

- [illegible] controlling partners/shareholders in common; or
- [illegible] or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- [illegible] the same legal representative for purposes of the Bid; or
- [illegible] a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the [illegible] Entity regarding the bidding process; or
- [illegible] Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. [illegible] by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this [illegible] limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- [illegible] Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- [illegible] Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements [illegible] a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date :
Place :
Designation :
Address :

Signature of bidder
Name :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is……………..

The designation and address of the Second Appellate Authority is……………..

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluated the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispuse of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(A) Determination of need of procurement ;
(B) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process ;
(C) The decision of whether or not to enter into negotiations ;
(D) Cancellation of a procurement process ;
(E) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

(A) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(B) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(C) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(A) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(B) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque or a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(A) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(B) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(I) hear all the parties to appeal present before him; and

(II) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause© above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.